2006:CGHC:5982

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1225/2001

सचिव, कृषि उपज मंडी, राजनांदगांव

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय राजनांदगांव एवं अन्य

आदेश

12.01.2006 को नियत करें ।

सही/

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5982

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1225/2001

सचिव, कृषि उपज मंडी, राजनांदगांव

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय राजनांदगांव एवं अन्य

श्री राजीव श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता

श्री अशोक वैष्णव, उत्तरवादी क्रमांक 2 हेतु अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक: 12.01.2006)

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

(1) कृषि उपज मंडी समिति, राजनांदगांव के सचिव ने श्रम न्यायालय राजनांदगांव द्वारा दिनांक 11.5.2001 को पारित अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती दी है, जो मामले क्रमांक 28/आई.डी. एक्ट/संदर्भ/95 में पारित किया गया था। यह अधिनिर्णय उप श्रम आयुक्त द्वारा दिनांक 03.01.1995 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत किए गए रेफरेंस पर आधारित था, जिसके निम्नलिखित शब्द थे:

> "क्या श्री अंजोरी लाल देवांगन का सेवा पृथकीकरण वैध एवं उचित है? यदि नहीं, तो वे किस सहायता के पात्र है, एवं और इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए?"

(2) उत्तरवादी क्रमांक 2 ने श्रम न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान में इलेक्ट्रीशियन के रूप में 2.5 वर्षों तक निरंतर काम किया था और अचानक उन्हें दिनांक 16.6.1992 को सेवा से हटा दिया गया। उनका तर्क था कि वे एक स्थायी मजदूर का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और उनकी सेवाएं विधि के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त नहीं की जा सकती थीं, क्योंकि उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया था और न ही कोई विभागीय जांच की गई थी। उनका दावा था कि उन्हें पहली बार दिनांक 01.12.1990 को दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके बाद वे उसी पद पर दिनांक 16.6.1992 तक कार्यरत रहे, और फिर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इसलिए, वास्तव में, उन्होंने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-(च) के प्रावधानों का पालन किए बिना उनकी सेवा समाप्ति अवैध थी। याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष लिखित कथन दाखिल करके प्रतिवादी क्रमांक 2 के दावे का विरोध किया और तर्क दिया कि वास्तव में, प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 01.12.1990 (प्रदर्श **P**.2) और 31.4.1991 (प्रदर्श **P**.4) के आदेशों के अनुसार कलेक्टर दर पर 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था, और उन्हें सौंपे गए कार्य मौसमी थे। उन्हें मंडी द्वारा कभी-कभी तब बुलाया जाता था जब विशेष मौसम में ऐसा काम उपलब्ध होता था, और कार्य पूरा होने के बाद उन्हें हटा दिया जाता था। इस प्रकार, वे दिनांक 16.6.1992 के बाद बिल्कुल भी निरंतर कार्य नहीं कर रहे थे । वास्तव में, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष यह अस्वीकार किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने लगातार 240 दिनों तक काम किया था, जिसके कारण दिनांक 16.6.1992 को उनकी सेवा समाप्ति अवैध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) साक्ष्य में, अपने दावे के समर्थन में, प्रतिवादी क्रमांक 2 ने स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया और 7 प्रदर्श दाखिल किए, जिनमें प्रदर्श पी/1 उनका दिनांक 20.11.1990 का आवेदन था, प्रदर्श पी/2 दिनांक 11.2.1990 का नियुक्ति आदेश था, जिसमें उन्हें 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था, प्रदर्श पी/3 भी 89 दिनों की अवधि के लिए दिनांक 04.11.1991 से नियुक्ति का आदेश था, और प्रदर्श पी/4 प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 04.4.1991 से आगे 89 दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया अंतिम नियुक्ति आदेश था। इसके बाद, दो अन्य दस्तावेज़ प्रदर्श पी/5

और पी/6 दाखिल किए गए, जो यह दर्शाते हैं कि उन्हें इस अवधि के बीच कुछ काम दिया गया था, और प्रदर्श पी/7 उनका दिनांक 24.7.1992 का अभ्यावेदन है, जो कथित सेवा समाप्ति के बाद दाखिल किया गया प्रतीत होता है। प्रबंधन ने भी अपने गवाह चंद्र शेखर साहू को प्रस्तुत किया, और इसके बाद, श्रम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 2 के दावे को स्वीकार कर लिया और रेफरेंस का उत्तर उनके पक्ष में देते हुए यह निर्णय दिया कि उनकी सेवा समाप्ति अवैध छंटनी घोषित की जाती है और प्रतिवादी क्रमांक 2 को इलेक्ट्रीशियन के पद पर 75% बकाया वेतन के साथ बहाल किया जाए।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 यह साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपनी कथित छंटनी से पहले के एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था, ताकि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-(च) का लाभ उठा सकें। इसलिए, श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय स्पष्ट रूप से विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि श्रम न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, यह स्थापित हो गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपनी छंटनी से पहले के वर्ष में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था और श्रम न्यायालय ने उनके पक्ष में सही अधिनिर्णय पारित किया है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 की सेवा से संबंधित हाजिरी पंजी और अन्य अभिलेख श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, तो श्रम न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 2 के बयान के आधार पर सही अधिनिर्णय दिया है।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिट याचिका तथा श्रम न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) ***रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस.टी. हादीमान (2002) 3 एस.सी.सी 25*** के मामले में, श्रम न्यायालय ने अपने अधिनिर्णय में यह माना कि प्रतिवादी की सेवाएँ छंटनी मुआवजा दिए बिना समाप्त की गई थीं। इसने यह भी माना कि कर्मकार का शपथ-पत्र यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने एक वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दावेदार का यह दावा था कि उसने इतने दिन

काम किया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इस दावे का खंडन किया गया था। तब यह दावेदार पर था कि वह यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने वास्तव में अपनी सेवा समाप्ति से पहले के वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। शपथ-पत्र दाखिल करना केवल उसका स्वयं के पक्ष में बयान है और इसे किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता कि कर्मकार ने वास्तव में एक वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। कर्मकार द्वारा 240 दिनों के लिए वेतन या मजदूरी प्राप्ति का कोई सबूत या उस अवधि के लिए नियुक्ति या संलग्नता का कोई आदेश या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। केवल इस आधार पर, अधिनिर्णय को अपास्त किए जाने योग्य है।

(8) इसी प्रकार, ***राजस्थान स्टेट गंगानगर एस. मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2004 (8) एस.सी.सी 161*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दावेदार मजदूर को यह साबित करना होता है कि उसने अपनी सेवा समाप्ति से पहले के वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। मजदूर का इस संबंध में केवल बयान पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार का निर्णय ***म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद बनाम सिर निवास (2004) 8 एस.सीसी 195*** में भी दिया गया और ***चेयरमैन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्यामल चंद्र भौमिक 2005(8) सुप्रीम 213*** के मामलों में भी समान दृष्टिकोण रखा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) ***एम.पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम हरिराम (2004) 8 एस.सी.सी 246*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 240 दिनों तक निरंतर काम करने के तथ्य को स्थापित करने का प्रारंभिक भार मजदूर पर है, और यदि मजदूर इस भार को नहीं उठा पाता, एवं श्रम न्यायालय ने इसी आधार पर निर्णय दिया, औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने केवल एक गलत तरीके से निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष पर पुनः नियुक्ति का आदेश देकर त्रुटि की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद (पूर्वोक्त) के मामले का उल्लेख करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कुछ सुसंगत दस्तावेज़ों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिकूल अनुमान निकालना गलत है।

(10) यदि हम वर्तमान मामले की समीक्षा उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में करे, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 अपने स्वयं के बयान और 7 दस्तावेज़ों के आधार पर यह साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपनी कथित छंटनी की तारीख (अर्थात, 16.6.1992) से

पहले के एक वर्ष में 240 दिनों तक निरंतर काम किया था। स्वीकृत रूप से, दस्तावेज़ प्रदर्श पी/2 दिनांक 1.12.1990 से पता चलता है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 01.12.1990 से 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, प्रदर्श पी/3 दिनांक 01.1.1991 के माध्यम से, उन्हें दिनांक 01.1.1991 से 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया, और अंत में, दिनांक 13.4.1991 का आदेश (प्रदर्श पी/4) उन्हें दिनांक 04.4.1991 से आगे 89 दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया। इसके बाद, प्रतिवादी क्रमांक 2 को कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 13.4.1991 (प्रदर्श पी/4) की अवधि के बाद से अपनी कथित छंटनी की तारीख तक निरंतर काम करने का कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबंधन की ओर से दिए गए साक्ष्य की गवाही के सन्दर्भ में यह कथन किया कि चूंकि इस गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने 16.6.1992 तक कार्य किया था, अतः यदि नियुक्ति की प्रथम तिथि अर्थात् 01.12.1990 से 16.6.1992 तक की कुल कार्य अवधि की गणना की जाए तो यह 240 दिनों से अधिक होगी और श्रम न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित और न्यायसंगत है। यह तर्क जो प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि याचिकाकर्ता की ओर से गवाह चंद्रशेखर साहू ने यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को 16.6.1992 के बाद नहीं रखा गया था, किंतु उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपनी नियुक्ति की पहली तिथि अर्थात् 01.12.1990 से लेकर 16.6.1992 तक लगातार कार्य किया। उनकी गवाही से यह स्पष्ट होता है कि जब भी आवश्यकता उत्पन्न होती थी, तो प्रबंधन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 को बुलाया जाता था और कुछ मौसमी कार्य दिया जाता था। उनके बयान के पैरा क्रमांक 24 में उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उस सुझाव से इनकार किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने कथित छंटनी से पहले लगातार छह महीने या 240 दिनों से अधिक कार्य किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दो प्रकाशित निर्णयों पर जोर दिया, ***(2001) 10 एस.सी.सी 608 (दीप चंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)*** और ***2000 (2) एम.पी.एल.जे 405 (सुखीया (शुष्मा) बनाम गंभीर)***। जहां तक दीप चंद्र के मामले में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले निर्णय का संबंध है, यह सिद्धांत पर है कि यदि धारा 25-(च) की आवश्यकताओं का पालन किए बिना छंटनी की जाती है, तो कर्मचारी को उसी शर्तों पर अपनी मूल सेवा जिन पर वह पहले काम कर रहा था, में बहाल किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में इस तरह का कोई विवाद नहीं है, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें धारा 25-(च) की आवश्यकताओं का पालन किए बिना छंटनी की गई हो, जबकि विधि के तहत ऐसा करना आवश्यक था। बल्कि, यह ऐसा मामला है जिसमें धारा 25-(च) की आवश्यकताओं का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 2 यह साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपनी कथित छंटनी से पहले के वर्ष में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था, और प्रतिवादी क्रमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा संदर्भित विधि इस बिंदु पर भिन्न है और इस मामले में लागू नहीं होता।

(12) प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित किए गए दूसरे निर्णय, सुखीया @ शुष्मा (पूर्वोक्त) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल पीठ न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए यह निर्णय दिया कि यदि कोई पक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, जो विवाद के मुद्दे पर प्रकाश डाल सकता है, तो न्यायालय को उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान निकालना चाहिए, भले ही सबूत का भार उस पर न हो। पक्षकार सबूत के भार के सार तत्व के सिधांत पर या इस तथ्य पर भरोसा नहीं कर सकता कि उसे ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद (पूर्वोक्त) के मामले के पैरा 15 को संदर्भित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह निर्णय दिया कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने वाले मामले में भी, न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है या नहीं लगा सकता कि यदि कोई पक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य के बावजूद उसे प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह उसके दावों के खिलाफ जाएगा। हालांकि, यदि न्यायालय के निर्देश के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मामला अलग होगा। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिकूल अनुमान का अनुमान हमेशा वैकल्पिक होता है और इसे निकालने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में से एक विवाद में शामिल तथ्यों की पृष्ठभूमि है। इस प्रकार, अनुमान अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद, अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके आधार पर ऐसा जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना कुछ प्रतियुक्त आधारों पर न्यायोचित पाया जा सकता है। माननीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त मामले में, अधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान नहीं निकाला और यह उसकी अधिकारिता में था, विशेष रूप से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए। वर्तमान मामले में भी, न्यायालय से प्रतिवादी क्रमांक 2 की सेवा से संबंधित किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का कोई निर्देश नहीं था, और प्रतिवादी क्रमांक 2 की सेवा से संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत नहीं करने से स्वचालित रूप से इसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान निकालना उचित नहीं होगा। प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क, जो कि इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाए गए हैं, नियोक्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना कि कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक कार्य किया था, केवल इस आधार पर कि कर्मचारी के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, विशेष रूप से जब न्यायालय ने ऐसा करने का कोई निर्देश नहीं दिया था स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

(13) इसलिए, यदि हम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई निरंतर सेवा की पूरी अवधि को मान भी लें, क्योंकि उसकी पहली नियुक्ति की तारीख 01.12.1990 से लेकर उसकी अंतिम नियुक्ति पत्र (प्रदर्श पी/4) दिनांक 13.4.1991 तक की अवधि जो 03.7.1991 को समाप्त होती है, तब भी यह सिद्ध नहीं होता कि उसने अपनी कथित छंटनी की तारीख से पूर्ववर्ती वर्ष में 240 दिन कार्य किया है। अतः श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय विधि के अनुरूप नहीं है और उसे अपास्त किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) फलस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है । श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.5.2001 को पारित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है । हालांकि, इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने वाद व्यय स्वयं वहन करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Naveen Nirala

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur